

कार्यालय
आयकर आयुक्त (छट)
आयकर भवन 5, अशोक मार्ग, लखनऊ।

द्रस्ट/संस्थान का नाम : स्वामी दयानन्द सरस्वती सुखानन्द केरियर पब्लिक स्कूल एजक्शनल सोसायटी ,

पता : आन्ध्रा आश्रम के पीछे, चन्द्रेश्वर नगर, ऋषिकेश, देहरादून (उत्तराखण्ड)

पैन : AAFTS6980G

आदेश तिथि : 12.08.2015

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए(1)(बी)(i) के अन्तर्गत आदेश

द्रस्ट डीड/प्रलेख (Memorandum of Association), 3 अन्तर्गत दिनांक 19.03.2004 को सृजित/स्थापित उपरोक्त द्रस्ट / सोसाइटी/कंपनी/संस्थान, जाक दिनांक 19.03.2004 को पंजीकरण सं. 1245 / 2003-2004 द्वारा धर्मार्थकार्य (चैरिटी) आयुक्त/ऐश्वर्योगीज रजिस्ट्रार/सोसाइटी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत की गई थी, उन्होंने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए(1)(ए) के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए फार्म सं. 10 ए में दिनांक 30.03.2014 को अवेदन किया है। अभिलेखों में प्रत्युत किये गये तथ्यों पर विचार करने के पश्चात्, एतद्वारा दिनांक 01.01.2014 की प्रभावी तिथि से अधोहस्ताक्षरी द्वारा द्रस्ट / सोसाइटी/कंपनी/संस्थान को पंजीकृत किया जाता है।

2. द्रस्ट/सोसाइटी/कंपनी/संस्थान को नाम जो कि धार्मिक/धर्मार्थ उद्देश्यों अथवा सामाजिक लोकोपयोगी कार्यों के लिए स्थापित की गई है, उसका नाम विशेष पंजीकरण संज्ञा (यू.आर.एन.) ३५४/१५-१६ के साथ इस कार्यालय के द्रस्ट/संस्थान रजिस्ट्रर द्वारा दर्ज कर लिया गया है।
3. अधोहस्ताक्षरी आयकर आयकर अधिनियम 1961 की धारा 12ए के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन के तथ्यों को की केवल प्रमाणित करता है। यह आयकर अधिनियम 1961 की धारा 11,12 एवं 13 के प्रयोग के संबंध में अथवा किसी अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत स्वत्व अथवा अधिकार, जिसका निर्णय गुणवत्ता के आधार पर निर्धारण अधिकारी द्वारा किया जाना है, प्रदान नहीं करता।
5. निर्धारण वर्ष 2013-14 के बाद से इस द्रस्ट/संस्थान का निर्धारण आयकर आयुक्त/आयकर उप आयुक्त/आयकर अधिकारी आयुक्त/आयकर अधिकारी द्वारा किया जाना है।
6. नस्या/प्रायस अपनी आय को पूर्ण या धार्मिक प्रयोजनों के लिए भारत में प्रयोग करेंगी जहाँ ऐसी आय नहीं में प्रयोग किए जाने हेतु संचित की जाती है यहाँ उस परिणाम तक जिस तक इस प्रकार संचित की गई या अलग रखी गई आय कुल आय का 15 प्रतिशत या अन्य कोई प्रतिशत जो समय-समय पर आयकर अधिनियम के तहत निर्धारित किया जाएगा, से अधिक नहीं होगी तथा यह आयकर अधिनियम की धारा 11(2) की शर्तों का पालन करेगी।



7. संस्था/न्यास अपने निवेश को आयकर अधिनियम की धारा 11(5) निर्दिष्ट रूपरूप और पद्धति के अनुसार रखेगी।

8. यह आदेश व्यापार के उद्भूत किसी लाभ पर लागू नहीं होगा, यह सिवाय उन परिस्थितियों को छोड़कर जबकि व्यापार संस्था के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाए एवं उस व्यापार की लेख बाहियाँ अलग से रखी जाए।

9. संस्था/न्यास आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत् अपनी आयकर विवरणी दाखिल करेगी।

10. संस्था/न्यास अपनी आय का कोई भी अंश किसी विशिष्ट धर्म, सम्प्रदाय या जाति के लाभ हेतु प्रयोग नहीं करेगी।

11. संस्था/न्यास आयकर अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (2) एवं (3) में विर्दिष्ट व्यक्तियों के लाभ हेतु अपनी किसी आय या सम्पत्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रयोग नहीं करेगी।

12. ट्रस्ट/संस्थान द्वारा बैंक खाता किसी ट्रस्ट/संस्थान/निदशक के नाम पर न खोल कर घृट प्राप्त संस्था के नाम पर ही खोला अथवा बैंक खाते का संचालन किया जायेगा।

13. धारा 12ए(3)की शर्तों के अनुरूप, यदि यह पाचा गया कि ट्रस्ट/संस्थान की गतिविधियों उचित नहीं हैं अथवा ट्रस्ट/संस्थान के उद्देश्यों के अनुरूप नहीं चलाई जा रही हैं तो इस आदेश द्वारा प्रदान किया गया रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा सकता है।

इ०
(पी.के. बजाज)
आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।

फा.सं.आ.आ.(छूट)/ लखनऊ/ 12ए/ 2015-16

दिनांक : 12/08/2015

प्रतिलिपि प्रेषित

- आयकर अपर संयुक्त आयुक्त(छूट), रेज गाजियाबाद।
- आयकर उपराज्यक आयुक्त(छूट), सर्किल गाजियाबाद।
- आयकर अधिकारी (छूट), देहरादून को इस आशय के साथ कि संस्था/न्यास को धारा 12ए के अन्तर्गत पंजीकरण मात्र ही संस्था/न्यास का धारा 11 से 13 तक करमुकित के लिए पर्याप्त नहीं है। संस्था/न्यास द्वारा उत्खल विवरणी तथा अन्य प्रपत्रों के आधार पर ही निर्धारण अधिकारी को इस परिणाम पर पहुंचना है कि संस्था/न्यास करमुकित के लिए वांछित सभी शर्तों को पूरा करती है अथवा नहीं, यदि संस्था/न्यास भविष्य में कभी भी आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 11 से 13 तक निहित सभी वांछित शर्तों को पूर्ण नहीं



करनी है तो इसे कर मुक्ति देय नहीं होगी तथा धारा 12एए(3) के अन्तर्गत उसका पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जायेगी।

✓4. आवेदक।

“बैंगलूरु
विनय कुमार श्रीवास्तव”
आयकर अधिकारी (मु.),
कृत आयकर आयुक्त (छूट),
लखनऊ।



FOR REFERENCE